न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास- पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 107/2020

निर्णय दिनांक - 17.12.2020

राकेश कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-वादी

बनाम

1. होशियार सिंह पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ (चूरू)

-प्रतिवादीगण

3. माईलाल पुत्र होशियारसिंह जाति जाट निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चू

गौण प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

उपस्थित :-

1. श्री दलवीर सिंह अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " भूमरलाल नायक अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. " बलवीर सिंह अधिवक्ता वास्ते गौण प्रतिवादी

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act. का विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि ख०न० 293 तादादी 5.81 हे० वाके रोही लम्बोरबड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादी सं. 1 के पिता होशियार सिंह के खातेदारी कृषि भूमि है एवं ख०न० 285 तादादी 8.66 हे० ख०न० 438 तादादी 1.33 हे० ख.नं. 439 तादादी 2.39 हे० ख०न० 62 तादादी 3.24 हे० कुल तादादी 15.62 हे० वाके रोही लम्बोर बड़ी

-2-

तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी का पिता प्रतिवादी सं. 1 होशियारसिंह 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वास्ते मुलाहिजा जमाबन्दी पेश है। यही विवादित कृषि भूमि है वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं गौण प्रतिवादी हिन्दू धर्म को मानने वाले है और मिताक्षरा विधि से शासित होते है उक्त कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी मौरूसी जायदाद होने के कारण उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है जिस पर वादी काबिज है एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिस कारण वादी विवादित कृषि भूमि की कुल तादादी 5.81 हे० में 1/12 हिस्से और कुल तादादी 15.62 हे० में से अपने 1/6 हिस्से को राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी सं. 1 होशियारसिंह का विधिक पुत्र है और उक्त कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादी की दादा लाई कृषि भूमि है जिस पर वादी, प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादी ने आपस में मीट एण्ड बाउण्ड कर अलग-अलग कब्जा काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही है वादी प्रतिवादी संख्या 1 का जायज वारिस होने के आधार पर वादी खाता सं. 5 की भूमि में अपने 1/12 हिस्से और खाता सं. 98 की भूमि में से अपने 1/6 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस कारण वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act. का पेश किया है। आदि- आदि पेश कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने मय वकील हाजिर अदालत आकर इकबाल दावा पेश किया। गौणप्रतिवादी भी जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये। वाद पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ इसलिए साक्ष्य की आवश्यकता नही है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 5 की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 98 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होना तथा भूमि पैतृक होना प्रमाणित है जिस कारण विवादित कृषि भूमि वादी व गौणप्रतिवादी के हित निर्धारण के लिए पैतृक सम्पत्ति है तथा वादी व गौण प्रतिवादी का विवादित कृषि भूमि में अपने जन्म के समय से प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहदायिक हिस्सा है जिस कारण वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेज व [illegible] से साबित है। अत: वाद वादी स्वीकार

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषिभूमि खाता संख्या 5 ख० न० 293 तादादी 5.81 है० रोही मौजा लम्बोर बड़ी जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा है, में वादी, प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा खाता संख्या 98 ख० न० 285 तादादी 8.66 है० ख० न० 438 तादादी 1.33 है० ख. न. 439 तादादी 2.39 है० ख. न. 62 तादादी 3.24 है० कुल तादादी 15.62 है० रोही मौजा लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है, में वादी, प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकद्देमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cvil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत —— उपखण्ड अधिकारी —— मुकाम — राजगढ़ (चूरू)
ब इजलास —— पंकज गढ़वाल R.A.S.

—— 107 —— बनाम — 2020

दावा बाबत — घोषणा अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act

मुकदमा नम्बर —— 107 —— सन — 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कलई रूबरू —— हमारे —— व
हाजरी — श्री दलवीरसिंह अधिवक्ता —— मिनजाबि मुदई व — श्री भूमरलाल नायक अधिवक्तागण व श्री बलवीरसिंह अधिवक्ता
—— मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित कृषि भूमि ख०न० 293 तादादी 5.81 है० रोही मौजा लम्बोर बड़ी जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा है, में वादी प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा खाता संख्या 98 ख०न० 285 तादादी 8.66 है० ख.न. 438 तादादी 1.33 है० ख.न. 439 तादादी 2.39 है० ख.न. 62 तादादी 3.24 है० कुल तादादी 15.62 है० रोही मौजा लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है, में वादी प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

वीज —— मुबलिग ——
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह —— बाबत ——
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक —— फीसदी सालानी आज की
बाप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 17 — माह — 12 — 20 को
जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा राजगढ़ (चूरू)

मुहर

मुदई	रूपया	पै0	मुदायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजोदावा ——			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा ——			अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत ——			महनताना वकील		
महनताना वकील ——			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान ——			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर ——			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा —			मुतफरिक		
मुतफरिक ——					
मीजान ——			मीजान ——		

नोट — इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये